

सत्र अदालत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अधिकारी, निवाई (टोंक-राज.)

रामफूल बनाम कैलाशचन्द वर्गै.

किस्म मुकदमा - दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दावा नं० - 108

सन - 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम के तामील में जारी हुए
08.05.2024	<p>एडवोकेट श्री कौशल किशोर जाट ने दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय से रिपोर्ट होकर प्राप्त हुआ। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी अप्रार्थीगण की जरिये रजिस्टर्ड एडी से की जाकर पत्रावली आगामी दिनांक ..... को पेश हो।</p> <p>08/05/24</p> <p>उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p> <p>पत्रावली पेश डी वकील द्वारा उपस्थित वकील के प्रथम पत्रावली एवं रिपोर्ट छिपी जाने हेतु पेश किया है वकील छिपी जाना हेतु वकील वकील के भी नोट-पुल की छिपी एवं एक्साइजर छिपी।</p> <p>वकील के प्रथम पत्रावली वकील द्वारा नोट-पुल छिपी जयन पर दावा खातिर छिपी जयन हेतु पत्रावली पेशल सुभर होकर, नम्बर से वकील होकर शामिल एक्साइजर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)</p>	<p>08/05/24</p> <p>08/05/24</p> <p>08/05/24</p>